

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 36/2020 अपील (राजस्व)

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर

— अपीलान्त

बनाम

1. उपतहसीलदार बारापाल, तहसील—गिर्वा, जिला—उदयपुर
2. श्री काना पुत्र श्री केसा मीणा, निवासी— बाधा खुर्द, तहसील—सराड़ा, जिला—उदयपुर
3. श्री प्रभाष गुर्जर पुत्र श्री रामलाल गुर्जर निवासी— पुराने थाने के पास, गोवर्धन विलास, उदयपुर
4. श्री नरेश खत्री पुत्र श्री अमरदास खत्री सिंधी निवासी— 3/336, आर.एच.बी. कॉलोनी, गोवर्धन विलास, सेक्टर नंबर 14, उदयपुर
5. श्री प्रकाश डांगी पुत्र रतनलाल डांगी निवासी— चारभुजा मन्दिर के पास, शोभागपुरा, तहसील—बड़गांव जिला—उदयपुर

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध कार्यालय उप तहसीलदार बारापाल द्वारा जारी भूमि रूपान्तरण आदेश क्रमांक 313 दिनांक 10.12.2015 ग्राम गोज्या का नामान्तरण संख्या 334 निर्णय दिनांक 09.06.2016 एवं

03 निर्णय दिनांक 22.12.2016

उपस्थित : श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता अपीलान्त

श्री सुनिल शर्मा, अधिवक्ता वि.स. 4 व 5

निर्णय

दिनांक:—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध उप तहसीलदार बारापाल द्वारा जारी भूमि रूपान्तरण आदेश क्रमांक 313 दिनांक 10.12.2015 ग्राम गोज्या का नामान्तरण संख्या 334 निर्णय दिनांक 09.06.2016 एवं नामान्तरण संख्या 03 निर्णय दिनांक 22.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खातेदारी भूमि ग्राम गोज्या की खसरा संख्या 1155 रकबा 0.0250 है0, 1156 रकबा 0.0150 है0, 1157 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 6 रकबा 0.2100 है0 का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आदेश क्रमांक 313 दिनांक 10.12.2015 से किया गया जिसका नामान्तरण सं. 334



दिनांक 09.06.2016 से अमल दरामद होकर राजस्व रेकार्ड में कृषि से आवासीय दर्ज हुई। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 श्री प्रभाष गुर्जर एवं अप्रार्थी सं. 4 श्री नरेश खत्री को बिकाव की गई तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 5 श्री प्रकाश डांगी को बिकाव की गई जो हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के खाता सं. 225 पर श्री प्रकाश डांगी पुत्र रतनलाल डांगी निवासी चारभुजा मन्दिर के पास शोभागपुरा उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व (गुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(126)राज-6/2012/24 जयपुर दिनांक 22.07.2015 से तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियों का समस्त नायब तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.11.2015 तक अधिकृत किया गया था। उक्त भूमि का रूपान्तरण उक्त अधिसूचना की प्रभावशील दिनांक 30.11.2015 के बाद किया जाकर नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से उक्त रूपान्तरण आदेश निरस्त करने, उक्त जारी आदेश की पालना में अमल-दरामद हेतु दर्ज नामान्तकरण सं. 334 निर्णय दिनांक 09.06.2016 एवं उक्त रूपान्तरित भूमि के बिकाव किये जाने से बिकाव का दर्ज नामान्तकरण सं. 03 निर्णय दिनांक 22.12.2016 को निरस्त करते हुए भूमि अ.ज.जा वर्ग द्वारा गैर अ.ज.जा. वर्ग को बिकाव किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 के तहत बिलानाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने के साथ राज तहवील लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोंडेंट सं. 1, 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2015 से पूर्व रूपान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रूपान्तरण शुल्क भी दिनांक 30.11.15 को जमा कराया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 9(3) के तहत तत्समय विहित प्राधिकारी को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने के 45 दिनों के भीतर प्रकरण के निस्तारण का प्रावधान होने से निर्धारित समयावधि में प्रकरण का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिसम्बर 2015 में प्राप्त हुआ था।

अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा ग्राम गोज्या की खसरा संख्या 1155 रकबा 0.0250 है, 1156

रकबा 0.0150 है0, 1157 रकबा 0.0600 है0 का उल्लेख किया है जो गणना आराजीयात की गई है वह गलत है। राज्य सरकार की अधिसूचना प.9(126)राज-6/2012/24 जयपुर दिनांक 22.07.2015 से तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तिया नायब तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु दिनांक 30.11.15 तक अधिकृत किया गया था। भूमि का रूपान्तरण अधिसूचना की प्रभावशील अवधि के बाद नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से उक्त रूपान्तरण आदेश निरस्त करने आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरण सं. 334 दिनांक 09.06.16 एवं रूपान्तरित भूमि का बिकाव किये जाने से बिकाव का दर्ज नामान्तकरण सं. 3 दिनांक 22.12.16 को निरस्त करते हुए भूमि अ.ज.जा वर्ग द्वारा गैर अ.ज.जा. वर्ग को बिकाव किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 के तहत बिलानाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने के साथ राज तहवील लिये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है जो पूर्णतया निरर्थक प्रार्थना आप श्रीमान न्यायालय से चाही गई हैं। ग्राम गोज्या की जिस आराजी भूमि बाबत अपील पेश की गई है उसमें अपीलान्ट द्वारा केवल अन्तिम दिनांक 30.11.2015 के बाद रूपान्तरण करने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त दिनांक से पूर्व ही उक्त भूमि बाबत रूपान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ होकर अन्तिम चरण में थी। रेस्पोजेन्ट द्वारा चालू डीएलसी की दर से भूमि की कीमत एवं निर्दिष्ट रूपान्तरण शुल्क तुलनात्मक अधिकता से संपरिवर्तन शुल्क आदि दिनांक 30.11.15 को जमा कराये गये। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुक्रम में दिनांक 09.06.16 को नामान्तकरण खोला गया तथा उक्त सारी कार्यवाही नियमों के तहत की जाकर विधि अनुरूप ही प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा उसके पश्चात ही नामान्तकरण सं. 334 खोला गया एवं उसके आधार पर ही रेस्पोजेन्ट द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है उसे समरी प्रोसेडिंग के जरिये चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज के विद्यमान होते हुये अपीलान्ट को बगैर उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही किये नामान्तकरण को निरस्त करवाने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रकरण में किसी तरह से नियमों की अवहेलना नहीं की गई, स्थापित नियमों के अनुसार ही सारी कार्यवाही की जाकर रूपान्तरण आदेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट गलत एवं मिथ्या आधारों पर होने से खारीज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(126)राज-6/2012/24 जयपुर दिनांक 22.07.2015 से तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियों का समस्त नायब तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.11.2015 तक अधिकृत किया गया था जबकि उपतहसीलदार बारापाल द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 10.12.2015 को जारी किया गया जो कि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। उक्त भूमि का रूपान्तरण उक्त अधिसूचना की प्रभावशील दिनांक 30.11.2015 के बाद किया जाकर नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से उक्त रूपान्तरण आदेश निरस्त करने, उक्त जारी आदेश की पालना में अमल-दरामद हेतु दर्ज नामान्तकरण सं. 334 दिनांक 09.06.2016 एवं उक्त रूपान्तरित भूमि के बिकाव किये जाने से बिकाव का दर्ज नामान्तकरण सं. 03 दिनांक 22.12.2016 को निरस्त करते हुए भूमि अ.ज.जा वर्ग द्वारा गैर अ.ज.जा. वर्ग को बिकाव किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 के तहत बिलानाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने के साथ राज तहवील लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 एवं 5 द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा केवल अन्तिम दिनांक 30.11.2015 के बाद रूपान्तरण करने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त दिनांक से पूर्व ही उक्त भूमि बाबत रूपान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ होकर अन्तिम चरण में थी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा चालू डीएलसी की दर से भूमि की कीमत एवं निर्दिष्ट रूपान्तरण शुल्क तुलनात्मक अधिकता से संपरिवर्तन शुल्क आदि दिनांक 30.11.15 को जमा कराये गये। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुक्रम में दिनांक 09.06.16 को उक्त नामान्तकरण खोला गया तथा उक्त सारी कार्यवाही नियमों के तहत की जाकर विधि अनुरूप ही प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा उसके पश्चात ही नामान्तकरण सं. 334 खोला गया एवं उसके आधार पर ही रेस्पोंडेन्ट द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है उसे समरी प्रोसेडिंग के जरिये चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान

सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(126)राज-6/2012/24 जयपुर दिनांक 22.07.2015 से तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियों का समस्त नायब तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.11.2015 तक अधिकृत किया गया था। नायब तहसीलदार बारापाल के आदेश क्रमांक 313 दिनांक 10.12.2015 द्वारा ग्राम गोज्या तहसील गिर्वा की खसरा संख्या 1138 रकबा 0.0550हे., 1140 मी. रकबा 0.0525 हे., 1819/1152 रकबा 0.0025हे., 1155 रकबा 0.0250 हे., 1156 रकबा 0.0150 हे., 1157 रकबा 0.0600 हे. कुल किता 06 रकबा 0.2100 हे. यानिकि 2100 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण अधिसूचना की प्रभावशील दिनांक 30.11.2015 के बाद दिनांक 10.12.2015 को क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया गया है। क्षेत्राधिकार से परे जाकर किये गये उक्त रूपान्तरण आदेश एवं उक्त आदेश की पालना में अमल दरामद हेतु नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 09.06.2016 को निरस्त किया जाता है। रूपान्तरित भूमि के बिकाव किये जाने से विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय से पंजीबद्ध विक्रय पत्र निरस्त कराते हुए भूमि अजजा वर्ग द्वारा गैर अजा वर्ग को बिकाव किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 ख के अन्तर्गत (किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य ना हो या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना हो) बिलानाम दर्ज कर राज तहवील में लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
 जिला कलक्टर
 उदयपुर